परिशिष्ट 'अ'
तारांकित 1455

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) सतना (म.प्र.)

सतना दिनांक 31-3-15

क्रमांक 605 / 2015/ जि.यो.सां.का./जनभागीदारी

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम
सतना जिला सतना (म.प्र.)

विषयः– **फलाई ओवर के पास फुड कोर्ट एवं रिक्रीऐसन सेन्टर का निर्माण कार्य जनभागीदारी से प्रांरभ करने की स्वीकृति बावत।**

आयुक्त नगर निगम सतना के प्रस्ताव द्वारा **फलाई ओवर के पास फुड कोर्ट एवं रिक्रीऐसन सेन्टर का निर्माण** कार्य जनभागीदारी से प्रांरभ करने की स्वीकृति बावत निर्माण कार्य/विकास योजना लागत रू. 16.00 लाख का प्रस्ताव दिया है। जिसमें जनभागीदारी अंशदान की राशि रूपये 8.00 लाख आयुक्त नगर निगम के खाता में जमा राशि से प्रदाय करने की सूचना दी गई हैं जिसे जनभागीदारी के अंश के रूप में शामिल किया गया है।

आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा रू. 16.00 लाख का तैयार किए गए प्राकलन एवं दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार उक्त कार्य की **कुल लागत रू. 16.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाकर राज्य सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत शासन के हिस्से के रूप में राशि रूपये 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) सामान्य क्षेत्र मे 50 प्रति. का अशंदान स्वीकृति किया जाता है।** उक्त निर्माण कार्य कराने हेतु **आयुक्त नगर पालिक निगम सतना** को अधिकृत किया जाता है।

उक्त व्यय विभागीय मांग संख्या 60 शीर्ष 4515 (आयोजना) स्कीम अन्य प्रभार (जनभागीदारी) से व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कार्यो के निष्पादन हेतु शर्ते/प्रतिबन्ध

1. उपरोक्त निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जाय।
2. कियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृत कार्य शासकीय भूमि पर कराया जावे, कोई भी कार्य वन भूमि पर न कराया जावे। निर्मित सम्पदा पर राज्य शासन का पूर्णतः अधिपत्य होगा।
3. निर्माण कार्य में किसी भी दशा में स्वीकृति राशि से अधिक व्यय नही किया जावेगा, स्वीकृत राशि से अधिक किया गया व्यय विभाग/निर्माण एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा। दिये गये कार्य का रख रखाव स्वयं निर्माणकर्ता विभाग/निर्माण एजेन्सी को करना होगा।
4. निर्माण कार्य **छः माह के अन्दर पूर्ण** करना होगा।
5. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य का स्थल निरीक्षण किया जावेगा तथा स्थल निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी।
6. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में कार्यवार प्रगति प्रतिवेदन एवं कार्य का व्यय पत्रक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. कार्य स्थल पर निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य है जिसकी अधिकतम लागत 250.00 रूपये होगी। इसकी व्यवस्था स्वीकृत राशि के अंदर ही करनी होगी ।
8. यदि प्रदाय की गयी राशि से कार्य पर व्यय कम होता है,तो शेष राशि तत्काल जिला योजना अधिकारी, सतना को वापस करनी होगी

कलेक्टर
जिला सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक – 606 /2015/जि.यो.सा./जनभागीदारी/ सतना दिनांक 31-3-15

प्रतिलिपि,

1– अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
2– कार्यालयीन नस्ती।

जिला योजना अधिकारी
सतना (म.प्र.)

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

8

परिशिष्ट "37"

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) सतना (म.प्र.)

क्रमांक 2563 / 2014/ जि.यो.सां.का./जनभागीदारी सतना दिनांक 31-12-14

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम
सतना जिला सतना (म.प्र.)

विषयः– उत्कृष्ट विद्यालय सिविल लाइन सतना के बगल में ओवर ब्रिज के नीचे चौपाटी निर्माण कार्य जनभागीदारी से प्रारंभ करने की स्वीकृति बावत।

आयुक्त नगर निगम सतना के प्रस्ताव द्वारा **उत्कृष्ट विद्यालय सिविल लाइन सतना के बगल में ओवर ब्रिज के नीचे चौपाटी निर्माण कार्य** जनभागीदारी से प्रारंभ करने की स्वीकृति बावत निर्माण कार्य/विकास योजना लागत रू. **11.94 लाख** का प्रस्ताव दिया है। जिसमें जनभागीदारी अंशदान की राशि रूपये 5.97 लाख आयुक्त नगर निगम के खाता में जमा राशि से प्रदाय करने की सूचना दी गई है जिसे जनभागीदारी के अंश के रूप में शामिल किया गया है।

आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा रू. 11.94 लाख का तैयार किए गए प्राकलन एवं दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार उक्त कार्य की **कुल लागत रू. 11.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाकर राज्य सरकार** द्वारा उक्त योजनान्तर्गत **शासन के हिस्से के रूप में राशि रूपये 5.97 लाख (रू0 पॉच लाख सन्तानवे हजार मात्र)** सामान्य क्षेत्र मे **50 प्रति. का अशंदान स्वीकृति किया जाता है।**

उक्त निर्माण कार्य कराने हेतु **आयुक्त नगर पालिक निगम सतना** को अधिकृत किया जाता है।

उक्त व्यय विभागीय मांग संख्या 60 शीर्ष 4515 (आयोजना) स्कीम अन्य प्रभार (जनभागीदारी) से व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कार्यो के निष्पादन हेतु शर्तें/प्रतिबन्ध

1 उपरोक्त निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जाय।

2 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृत कार्य शासकीय भूमि पर कराया जावे, कोई भी कार्य वन भूमि पर न कराया जावे। निर्मित सम्पदा पर राज्य शासन का पूर्णतः अधिपत्य होगा।

3. निर्माण कार्य में किसी भी दशा में स्वीकृति राशि से अधिक व्यय नही किया जावेगा, स्वीकृत राशि से अधिक किया गया व्यय विभाग/निर्माण एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा। दिये गये कार्य का रख रखाव स्वयं निर्माणकर्ता विभाग/निर्माण एजेन्सी को करना होगा।

4. निर्माण कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण करना होगा।

5. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर कार्य का स्थल निरीक्षण किया जावेगा तथा स्थल निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी।

6. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में कार्यवार प्रगति प्रतिवेदन एवं कार्य का व्यय पत्रक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. कार्य स्थल पर निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य है जिसकी अधिकतम लागत 250.00 रूपये होगी। इसकी व्यवस्था स्वीकृत राशि के अंदर ही करनी होगी ।

8. यदि प्रदाय की गयी राशि से कार्य पर व्यय कम होता है,तो शेष राशि तत्काल जिला योजना अधिकारी, सतना को वापस करनी होगी

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

कलेक्टर
जिला सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक – 2564 /2014/जि.यो.सा./जनभागीदारी/ सतना दिनांक ....

प्रतिलिपि,

1– अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

2– कार्य नस्ती।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

जिला योजना अधिकारी
सतना (म.प्र.)

तारांकित 1455

परिशिष्ट-"ब"

कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1455 (तारांकित) ~~की पूरक जानकारी~~

सिविल लाइन चौपाटी में कराये गये निर्माण कार्य की सूची

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	निविदा दर	कुल स्वीकृत राशि	व्यय राशि	अन्य विवरण
1	चौपाटी की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	11.94 लाख	19.99%अधिक एस.ओ.आर.	14.32 लाख	13.69 लाख	उक्त कार्य में जनभागीदारी से रु. 5.97 लाख अंशदान प्राप्त हुआ। शेष राशि नगर निगम द्वारा व्यय की गई।
2	चौपाटी के आन्तरिक विकास (नाली, पब्लिक टायलेट, पेवर, लान, स्टाल, स्टेज आदि कार्य)	88.96 लाख	7.47%अधिक एस.ओ.आर.	95.60 लाख	88.43 लाख	उक्त कार्य में जनभागीदारी से रु. 8.00 लाख अंशदान प्राप्त हुआ। शेष राशि नगर निगम द्वारा व्यय की गई।
3	चौपाटी में आन्तरिक विद्युतीकरण (ट्यूबलर पोल)	9.96 लाख	11.05%अधिक एस.ओ.आर.	11.06 लाख	11.06 लाख	उक्त कार्य में नगर पालिक निगम सतना द्वारा राशि व्यय की गई।
	योग :-	109.86 लाख		120.98 लाख	113.18 लाख	

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

सहायक यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

सहायक यंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

उपयंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

उपयंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

उपयंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

उपयंत्री
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)